

पटवारी रिपोर्ट

प्राथमिकी श्री गोविन्दसिंह द्वारा किए आवेदन की जांच की गई एक पाया कि फूलकुंवर पत्नि सुजानसिंह ज्ञाते रामपूर डा राजस्व ग्राम सनोद के हाल रिहाई में सांग संख्या 340 तथा 507 में बुद्धिपूर्वक इन्द्राज मूलकुंवर पत्नि सुजानसिंह जाति राजपूत हो रखा है जोकि गलत है जबकि अन्य दस्तावेजों जैसे वोचर आई डी कार्ड तथा राजस्व रिहाई के अन्य छाता संख्या 180 में फूलकुंवर पत्नि सुजानसिंह नाम दर्ज है जो कि सही है अतः छाता संख्या 340 तथा 507 में मूलकुंवर पत्नि सुजानसिंह की जगह फूलकुंवर पत्नि सुजानसिंह जाति राजपूत किया जाकर दुरुस्त किया जाना उचित होगा

(Signature)
पटवारी

भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट

अलग-अलग दस्तावेजों व हल्का पटवारी रिपोर्टनुसार मूलकुंवर जी० सुजानसिंह के अर्थात् फूलकुंवर पीछे सुजानसिंह जी० अर्थात् दुसरे-ले किल्ला जाम/उचित है।

(Signature)
PCR 23/9/25
23/9/25

तहसीलदार की रिपोर्ट

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी तथा भू. अ. निरी. अनुसार यथा प्रस्तावित

(Signature)
शिविर प्रभासे
तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025
400

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

दिनांक:-23/09/2025

क्रमांक/ 125

आदेश

उपरोक्त प्राथमिकियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू-अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ज्ञाते रामपूर तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2069-72 के खाता संख्या 507, 340 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1.	मूलकुंवर पत्नि सुजानसिंह जाति राजपूत दि. 1/16	उपरोक्त खाता सं. में वर्णित अनुसार		फूलकुंवर पत्नि सुजानसिंह, जाति राजपूत इस लेखक	उपरोक्त खाता सं. में वर्णित अनुसार	
2.	मूलकुंवर पत्नि सुजानसिंह जाति राजपूत दि. 1/8	इस लेखक				



क्रमांक:- 4882-83

दिनांक:- 23/09/2025

उत्तिलिपि :- 1. तहसीलदार नसीराबाद को जालनाथ)
2. आदेश पत्रावली।

(Signature)
प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद, जिला अजमेर